**न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर, कैम्प रीवा, संभाग–रीवा, जिला–रीवा (म.प्र.)**

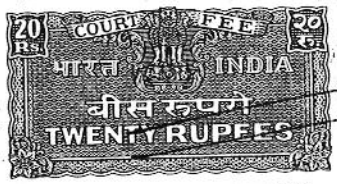

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs 20/-

R. 3293-III/14

515
1.9.14

1. बेवा बूटीबाई पत्नी स्व. वंशगोपाल गर्ग, उम्र 60 वर्ष, पेशा–घरू कार्य
2. राजकुमार, उम्र 43 वर्ष, पेशा–कृषि
3. शिवकुमार, उम्र 40 वर्ष, पेशा–कृषि एवं नौकरी
4. रामकुमार, उम्र 36 वर्ष, पेशा–कृषि, 2,3,4 के पिता स्व. वंशगोपाल गर्ग, सभी निवासी ग्राम–खुटहा, तह.–बिरसिंहपुर, जिला–सतना (म0प्र0)..........................................निगराकारगण

श्री रामलोचन विश्वकर्मा द्वारा आज दिनांक 01-09-14 को प्रस्तुत किया गया।

क्रमांक 3063 रीडर
रजिस्टर्ड पोस्ट सर्किट कोर्ट रीवा
दिनांक ____ को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. बृजगोपाल तनय स्व. भगवानदास ब्राम्हण, उम्र 65 वर्ष, पेशा–कृषि
2. बृजमोहन पिता स्व. लक्ष्मी प्रसाद ब्राम्हण, उम्र 60 वर्ष, पेशा–कृषि,
3. बेवा बुट्टन पत्नी चन्द्रपाल ब्राम्हण,पेशा–गृहिणी
4. धर्मेन्द्र, उम्र 30 वर्ष, पिता चन्द्रपाल ब्राम्हण, पेशा–कृषि,
5. महेन्द्र, उम्र 25 वर्ष, पिता चन्द्रपाल ब्राम्हण, पेशा–कृषि एवं ड्राइवरी,
6. श्रीमती रूपा पुत्री चन्द्रपाल, उम्र 28 वर्ष,
7. शिव प्रसाद पिता स्व. लक्ष्मी प्रसाद ब्राम्हण, उम्र 45 वर्ष, पेशा–कृषि,
8. शिवाधार पिता स्व. लक्ष्मी प्रसाद ब्राम्हण, उम्र 43 वर्ष, पेशा–कृषि,
9. सुनील दत्त पिता लल्ला प्रसाद, उम्र 44 वर्ष, पेशा–नौकरी,
10. रमेश कुमार पिता लल्ला प्रसाद ब्राम्हण, उम्र 38 वर्ष, पेशा–कृषि
11. श्रीमती शान्ती पुत्री स्व. भगवानदास, उम्र 60 वर्ष, पेशा–गृहकार्य

क्रमशः...2

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3293/II/14 जिला सतना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 6.1.16 | मैंने प्रकरण में निगराकार पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने एवं नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया।<br>विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि नीलकंठ एवं सीताराम वाद भूमि के समान हकदार थे। निगराकारगण नीलकंठ के वारिस हैं और गैरनिगराकारगण सीताराम के वारिस हैं।<br>इस प्रकार निगराकारगण का वाद भूमि पर 1/2 (आधा) हिस्सा होता है जबकि तहसीलदार द्वारा आदेश दि 11-9-08 के माध्यम से उन्हें इससे कम हिस्सा दिया गया है। SDO एवं अपर आयुक्त ने इस बिन्दु पर विचार किये बगैर अपीलें निरस्त कर गलती की है।<br>अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि उन्होंने इस बिन्दु पर विचार कर कोई निष्कर्ष नहीं निकाले हैं। | |

[कृ. प. उ.

M

R. 3293/I/14 सतना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभि... आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| श्रीवाई | कृष्ण गोपाल | |

अतः मैं अपर आयुक्त रीवा को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय का संबंधित प्रकरण पुनः खोलें, एवं उसमें विधिवत साक्ष्य आदि लेते हुए, पक्षकारों को पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए, एवं समुचित विवेचना करते हुए, इस बिन्दु समेत प्रकरण के समस्त सुसंगत बिन्दुओं पुनः बोलता हुआ स्पष्ट आदेश पारित करें। ऐसा आदेश अपर आयुक्त, इस रा. मं. के आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम 4 माह में पारित करें। तब तक उनका आक्षेपित आदेश तथा SDO एवं तहसीलदार के भी आक्षेपित आदेश प्रभावहीन रहेंगे।

आदेश पारित।

पक्षकारगण, अपर आयुक्त, SDO एवं तहसीलदार सूचित हों।

प्रकरण समाप्त।

दा. द. हो।

6.1.16

(सदस्य)

शाक्षेमुरवा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.